

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

वेब डेटा सेवाओं का सब्सक्रिप्शन

नाबार्ड में  
डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं का संवर्धन

रुचि की अभिव्यक्ति

## विषय वस्तु

खण्ड I – परिचय .....	3
खण्ड II – क्रियाकलापों की अनुसूची .....	5
खण्ड III- कार्य क्षेत्र .....	6
खण्ड IV- बोलीदाताओं हेतु पात्रता मानदंड .....	12
खण्ड V वेब डेटा सेवा के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड .....	14
खण्ड VI – ईओआई प्रस्तुत करने की प्रक्रिया .....	17
खण्ड VII – नियम और शर्तें .....	19
अनुबंध I – ईओआई प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र .....	22
अनुबंध IV- काली सूची में न होने/ प्रतिबंधित न होने हेतु घोषणा .....	26
अनुबंध V - जाँचसूची .....	27
अनुबंध VI – पूर्व संविदा अखण्डता समझौता .....	28

## खण्ड I – परिचय

1. नाबार्ड 1982 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विकास वित्तीय संस्थान है। इसके 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसके माध्यम से यह कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय और संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करता है।
2. नाबार्ड अपनी डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत वेब डेटा सेवाओं में विशेषज्ञता रखने वाली प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्मों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।
3. ज्ञान आधारित संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध, नाबार्ड ने पहले ही अपने डेटा वेयरहाउस को डेवलेप करना शुरू कर दिया है और विभिन्न बाहरी डेटा स्रोतों की सक्रिय रूप से सदस्यता ली है, जिससे इसकी रिपोजिटरी को विविध अंतर्राष्ट्रीय से समृद्ध किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर सेवा डेटा अभिशासन नीतियों के अनुपालन में वेबसाइटों से सामग्री निष्कर्षण की सुविधा, वितान्य (एक्स्टेंसिबल) डेटा निष्कर्षण विधियाँ, मजबूत डेटा शुद्धीकरण, विविध सामग्री संकलन, एक्सपोर्ट क्षमताओं, प्रमाणित डेटा और डेटा की शुद्धता प्रदान करती है। उन्नत वेब स्क्रैप्टिंग/क्रॉलिंग प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से डेटा एकत्र करने की क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास में सूचित निर्णय लेने और परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाते हुए, नाबार्ड का लक्ष्य ग्रामीण भारत में समावेशी और संधारणीय विकास को बढ़ावा देने के अपने अधिदेश को बेहतर ढंग से पूरा करना है।
4. मूल निविदा संदर्भ संख्या और इस ईओआई की तारीख है: राबै.डीडीएमएबी.प्रका/084/2024-25 दिनांक 12 अगस्त 2024।
5. वेब डेटा सेवा के सब्सक्रिप्शन की ईओआई प्रक्रिया निम्नानुसार दो चरणों में होगी:

### चयन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

- **उद्देश्य:** ईओआई का उद्देश्य विक्रेता की पहचान और चयन करना है जो इसकी वेब डेटा सेवाओं के लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ अच्छी ढंग से इसके अनुरूप हो, और जो वेब साइटों का क्रैंकी कर सकता हो, वेबसाइटों से सार्वजनिक सामग्री का निष्कर्षण कर सकता हो, और इस सामग्रियों को आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य तरीके से संग्रहित कर सकता हो। सॉफ्टवेयर सेवा का प्राथमिक उद्देश्य डेटासेट प्रबंधन, स्वचालित डेटा संग्रह, वितान्य डेटा निष्कर्षण विधियों, डेटा शुद्धीकरण, विविध सामग्रियों का संकलन, एक्सपोर्ट क्षमताओं, डेटा की प्रमाणिकता, दक्षता, अनुकूलन क्षमता, विश्वसनीयता, हमारे डेटा वेयरहाउस और विज़ुअलाइज़ेशन टूल के साथ सहज एकीकरण से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- **मूल्यांकन मानदंड:** मुख्य मूल्यांकन मानदंड के अंतर्गत ऐसे सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट और प्रबंधन में पूर्व अनुभव का आकलन करना होगा। कंपनी का मूल्यांकन वेब डेटा सेवा के लिए प्रस्तावित कार्यात्मक और तकनीकी समाधानों के आधार पर किया जाएगा जहाँ नाबार्ड खण्ड I और खंड V में निर्धारित न्यूनतम पात्रता मानदंडों पर कंपनी का चयन करेगा।
- **बोलीदाताओं के लिए अस्वीकरण:** बोलीदाता जिन्होंने वेब डेटा सेवा / वेब क्रॉलर / स्क्रैप्टर सेवा को विकसित और कार्यान्वित किया हो और संपूर्ण सेवाएँ प्रदान की हों तथा 5 वर्षों से अधिक समय तक विकास के क्षेत्र में योगदान दिया हो, केवल उन्हीं बोलीदाताओं को भाग लेने और अपना ईओआई प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

**टिप्पणी:** उपयुक्त स्टार्ट-अप्स के लिए पूर्व अनुभव से संबंधित मानदंडों में छूट प्रदान की जा सकती है।

6. ऐसे बोलीदाताओं द्वारा जीईएम पोर्टल/ सीपीपी पोर्टल (<https://eprocure.gov.in>) पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को प्रस्तुत करना होगा जो:

- क. “खण्ड IV” में निहित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- ख. इस ईओआई दस्तावेज़ में वर्णित सभी नियम और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हों।

**7. चयन:** नाबार्ड एक समिति की स्थापना करेगा जो संभावित विक्रेताओं का चयन करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी।

- क. इसके बाद चयनित विक्रेताओं को अपने विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ख. इन विज्ञापनों के मूल्यांकन और प्रदान की जाने वाली सेवाओं की लागत पर विचार करने के बाद, अंतिम चयन किया जाएगा।

## खण्ड II – कार्यों की अनुसूची

क्र.सं.	कार्य	दिनांक
1.	नाबार्ड की वेबसाइट और जीईएम पोर्टल/ सीपीपी पोर्टल पर ईओआई का प्रकाशन	12/08/2024
2.	स्पष्टीकरण हेतु आवेदकों द्वारा पूछताछ (ईमेल के माध्यम से) करने की अंतिम तिथि और समय	16/08/2024 (अपराह्न 3.00 बजे)
3.	बिड-पूर्व बैठक की तिथि और समय	19/08/2024 (अपराह्न 3.00 बजे)
4.	सभी सहायक दस्तावेजों के साथ ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय	01/09/2024 (अपराह्न 3.00 बजे)
5.	ईओई को खोलना	03/09/2024 (पूर्वाह्न 9.00 बजे)

### खंड III- कार्य क्षेत्र

#### 1. प्रयोजन/ लक्ष्य:

- परिचालन दक्षता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए नाबार्ड एक महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहा है। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य एक मजबूत डाटा वेयरहाउस से संबंधित आधारभूत संरचना की स्थापना करना, डाटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उन्नत विश्लेषण का उपयोग करना है। स्व-सेवा पोर्टल जैसी पहल पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, हितधारकों को पहले से ज्ञात सूचना पर निर्णय लेने और जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक अंतर्दृष्टि के साथ सशक्त बनाती है।
- नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, नेक्सेंसस और सीएमआईई जैसे स्रोतों से बाहरी डाटा को डाटा वेयरहाउस में शामिल किया है। आईसीआरए, किसिल, आईसीआरआईईआर और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों से विभिन्न रिपोर्ट, जिनका बारंबार संदर्भ लिया जाता है, को भी सुलभ बनाया गया है।
- नाबार्ड ने डाटा की उपलब्धता बढ़ाने, ऑनलाइन स्रोतों से व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करने के लिए वेब क्रॉलर/स्क्रैपर की सेवा सबस्क्राइब करने का निर्णय लिया है। डाटा की यह प्रचुरता की विभागों को सशक्त बनाती है, व्यापक अंतर्दृष्टि और विश्लेषण के माध्यम से बेहतर निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करती है, साथ ही साथ समय और लागत को कम करने का प्रयास करती है।
- वेब डाटा से संबंधित सेवा को विविध स्रोतों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विशाल मात्रा में डाटा एकत्रित और विश्लेषित करना चाहिए।
- सेवा को स्कैपिंग के माध्यम से एकत्र किए गए जेएसओएन या सीएसवी प्रारूपों में तैयार डाटासेट प्रदान करना चाहिए, जिससे डाटासेट ब्राउज़िंग और चयन सरल हो। इसे डाटा सेंटर, आईएसपी, आवासीय और मोबाइल प्रॉक्सी के साथ सहजता से एकीकृत किया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ता-केंद्रित डाटा देखने और संग्रह करना, सहज कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन के माध्यम से सक्षम किया जा सके।

क्रॉल किए गए डाटा को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने, संग्रहीत करने और पुनर्प्राप्ति करने के लिए मजबूत डाटा प्रबंधन उपकरण आवश्यक हैं। सेवा को विभिन्न डाटा संग्रहण समाधानों के साथ संगतता प्रदान करनी चाहिए, जिससे मौजूदा सिस्टम और वर्कफ़्लो के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

- कुशल डाटा पुनर्प्राप्ति और प्रसंस्करण के लिए कार्य-निष्पादन अनुकूलन महत्वपूर्ण है। सेवा को अंतर्निहितता कम करने और थ्रूपुट को अधिकतम करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, जिससे प्रासंगिक जानकारी तक समय पर पहुंच संभव हो सके। यह अनुकूलन गतिशील ऑनलाइन वातावरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां डाटा स्रोत बारंबार परिवर्तित हो सकते हैं या उनमें बहुत अधिक मात्रा में डाटा हो सकता है।
- इसे अभीशासन नीतियों का अनुपालन करते हुए तथा डाटा गोपनीयता और विनियामक अनुपालन के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करते हुए उच्च डाटा गुणवत्ता, अपटाइम और समर्थन सुनिश्चित करना चाहिए।

संक्षेपित रूप से, नाबार्ड एक वेंडर की तलाश कर रहा है जो डाटा संग्रहण, डाटा की स्वच्छता, विश्लेषण, विभिन्न इनपृष्ठ और आउटपुट प्रारूपों का सहयोग करते हुए, डाटा की अखंडता सुनिश्चित करने, हमारे अपने डाटा वेयरहाउस और पावरबीआई जैसे विजुअलाइज़ेशन ट्रूल के साथ एकीकरण करने में सक्षम वेब डाटा सेवा प्रदान करे, जबकि डाटा गवर्नेंस नीतियों का अनुपालन करे और डाटा गोपनीयता और नियामक अनुपालन के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करे।

#### 2. नाबार्ड हेतु वेब डाटा से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता

नीचे कुछ आवश्यकताएं दी गई हैं, जिन्हें वेंडर द्वारा पूरा किया जाना होगा। हम इस पर वेंडर्स के सुझावों का भी स्वागत करते हैं। आउटपुट का डिज़ाइन वेंडर द्वारा किया जाएगा और डीडीएमएबीआई, नाबार्ड द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

i. डाटा एकत्रीकरण कवरेज और विश्लेषण	<ul style="list-style-type: none"> <li>सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विशाल मात्रा में डाटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। इसे समाचार वेबसाइटों, सोशल नेटवर्क, ब्लॉग, फ़ोरम और डाटाबेस रिपोजिटरी जैसे विभिन्न स्रोतों से डाटा फ़ीड करने में सक्षम होना चाहिए</li> <li>वेब क्रॉलर द्वारा एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण करके मूल्यवान सूचनाएँ और पैटर्न निकाले जा सकते हैं</li> </ul>
ii. कार्यक्षम	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह नो-कोड सोल्युशंस का उपयोग करता है, जिसमें कोडिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता कम होती है और संसाधन की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है</li> <li>सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के कारण कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप लागत की बचत होती है और दक्षता में सुधार होता है</li> </ul>
iii. लचीला	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह पूर्वनिर्मित सोल्युशंस प्रदान करता हो, जिन्हें सरलता से क्रियान्वित किया जा सके और विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सके.</li> <li>स्केलेबल आर्किटेक्चर डाटा की बढ़ती जरूरतों के अनुसार विस्तार की अनुमति देता हो, जिससे बदलती मांगों के अनुकूल होने के लिए लचीलापन सुनिश्चित होता है।</li> </ul>
iv. तृतीय पक्ष का एकीकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>एकीकरण की क्षमताओं का निर्बाध रूप में होना आवश्यक है, जो बिना किसी व्यवधान के मौजूदा प्रणालियों और कार्यप्रवाहों के साथ संगतता सुनिश्चित करती हो।</li> </ul>
v. विश्वसनीयता	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह कठोर गुणवत्ता के आभ्यासनों से परिपूर्ण उपायों के माध्यम से उच्चतम गुणवत्तायुक्त डाटा प्रदान करता है, जिससे सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती हो।</li> <li>डाटा तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बेहतर अपटाइम प्रदान करता हो, साथ ही साथ बेहतर निर्णय लेने के लिए तीव्र गति से डाटा की पुनर्प्राप्ति भी प्रदान करता हो।</li> <li>समय पर सहायता और समस्या निवारण सहित बेहतर समर्थन सेवाएं प्रदान करता हो, जिससे समग्र विश्वसनीयता और उपयोगकर्ता की संतुष्टि बढ़ती हो।</li> </ul>
vi. डाटा गुणवत्ता सत्यापन तंत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्रॉल किए गए डाटा की गुणवत्ता और सटीकता की पुष्टि करने के लिए तंत्र लागू करें, जिसमें सत्यापन जांच और डाटा शुद्ध करने की प्रक्रियाएं शामिल हो।</li> </ul>
vii. अनुकूलन के लिए लचीलापन	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्रॉल के व्यवहार को अनुकूलित करने और विशिष्ट आवश्यकताओं या डाटा स्रोतों में परिवर्तनों के अनुकूलन हेतु लचीलापन प्रदान करें</li> </ul>
viii. डाटासेट प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>जेएसओएन या सीएसवी प्रारूप में तैयार डाटासेट उपलब्ध हैं</li> <li>स्कैपिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संरचित रूप से विस्तृत डाटा एकत्रित किया गया</li> <li>उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के आधार पर डाटासेट ब्राउज़ करने और चयन करने की क्षमता</li> </ul>
ix. स्वचालित डाटा संग्रहण	<ul style="list-style-type: none"> <li>डेटा संग्रहण की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और स्वचालित करने के लिए डेटा संग्रहकर्ता</li> <li>आधारभूत संरचना की कोई आवश्यकता न होना, उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सेटअप के बिना डाटा संग्रह शुरू करने में सक्षम बनाता है</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>डेटा संग्रहण के कार्यों को समयबद्ध करने, विराम देने, पुनः प्रारंभ करने और अनुकूलित करने के लिए अधिकतम लचीलापन</li> <li>डेटा संग्रहण गतिविधियों की प्रगति और स्थिति पर नज़र रखने के लिए अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग सुविधाएँ</li> </ul>
x. इनबिल्ट डेटा निष्कर्षण क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> <li>सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा तक पहुँच की क्षमता</li> <li>प्रॉक्सी नेटवर्क के कुशल प्रबंधन और उपयोग के लिए प्रॉक्सी मैनेजर</li> <li>सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के लिए अंतर्निहित क्रॉलिंग और अनब्लॉकिंग क्षमताओं से युक्त सर्च इंजन क्रॉलर.</li> <li>विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर डेटा निष्कर्षण को अनुकूलित करने के लिए अनुकूलन योग्य निष्कर्षण सेटिंग्स.</li> </ul>
xi. सामग्री एकत्रीकरण	<ul style="list-style-type: none"> <li>व्यापक डेटाबेस या निर्देशिका बनाने के लिए कई स्रोतों से सामग्री एकत्र करने में सक्षम होना चाहिए</li> </ul>
xii. उपलब्धता	<ul style="list-style-type: none"> <li>डेटा सेंटर, आईएसपी, आवासीय और मोबाइल प्रॉक्सी के साथ एकीकरण.</li> <li>उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रॉक्सी के विभिन्न प्रकार को चयन करने का विकल्प</li> <li>उपभोक्ता के वृष्टिकोण से डेटा देखने और एकत्र करने के लिए प्रॉक्सी का निर्बाध रूप से एकीकरण</li> <li>विभिन्न प्रॉक्सी के विकल्पों के बीच सरलता से स्विच करने और प्रबंधित करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स.</li> </ul>
xiii. सुरक्षा और अनुपालन	<ul style="list-style-type: none"> <li>यह सुनिश्चित करें कि पारदर्शिता के साथ डेटा गवर्नेंस नीतियों का पालन करते हुए कानूनी और नैतिक मानकों का अनुपालन किया जाए.</li> <li>संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपायों को लागू करें, गोपनीयता और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करें.</li> </ul>
xiv. सहायता और रखरखाव	<ul style="list-style-type: none"> <li>वेंडर को क्रॉलर सेवा से संबंधित किसी भी मुद्दे या समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता और उसके रखरखाव हेतु सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए.</li> <li>सहायता व्यवसायिक कार्य समय के दौरान उपलब्ध होनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन सहायता के प्रावधान भी शामिल होना चाहिए.</li> </ul>
xv. नियमित अपडेट और सुधार	<ul style="list-style-type: none"> <li>उपयोगकर्ता के फीडबैक और बदलती आवश्यकताओं के आधार पर नए फीचर्स, सुधारों और ऑप्टिमाइज़ेशन को शामिल करने के लिए वेब क्रॉलर सेवा नियमित अपडेट और सुधार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो.</li> </ul>
xvi. डेटा प्रामाणिकता	<ul style="list-style-type: none"> <li>वेब डेटा सेवा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एकत्रित किया गया डेटा प्रामाणिक हो और न कि मिथ्यापूर्ण हो.</li> </ul>
xvii. विश्वसनीय स्रोतों मिलान करना	<ul style="list-style-type: none"> <li>विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ क्रॉल किए गए डेटा का मिलान करें. विश्वसनीय स्रोतों के साथ डेटा का मिलान करने से एकत्रित डेटा की प्रामाणिकता में विश्वास बढ़ाती है.</li> </ul>

#### निलिखित समाधान होने चाहिए:

- नाबाड़ को वेब क्रॉलर से प्राप्त डेटा पर स्वतंत्र विश्लेषण करने की अनुमति दें, जो उनके केंद्रीयकृत सर्वर पर किया जाएगा.

2. मौजूदा और भविष्य के एप्लिकेशन्स को साथ जोड़ने के लिए एपीआई या वेब सेवाओं आदि के ज़रिए तैयार और सक्षम रहें।
3. डेटा प्रबंधन को अनुकूलित करने, डेटा गुणवत्ता की सावधानीपूर्वक जांच करने, कार्यप्रदर्शन को बेहतर बनाने, और विश्वसनीयता तथा परिवर्तनशीलता बनाए रखने के लिए पैरामीट्रीकरण सुनिश्चित करें, साथ ही अभिशासन नीतियों का पालन और डेटा गोपनीयता एवं विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय लागू करें। इसके अतिरिक्त निर्बाध परिचालन के लिए व्यापक सहायता और रखरखाव की सेवाएँ प्रदान करें।

नाबार्ड सभी वेंडरों को प्रोत्साहित करता है कि वे अन्य नवोन्मेष विचार और/या समाधान प्रस्तुत करें जो लागत को कम करे और परिचालन क्षमता में सुधार लाएं और नाबार्ड की ग्रामीण विकास और समृद्धि के लिए सेवाओं को बेहतर बनाएं।

### 3. वेब डेटा सेवा के लिए डिलीवरेबल्स

- i. **प्रदर्शन में सुधार:** क्रॉलर की प्रदर्शन को ऑटोमाइज करें ताकि डेटा प्राप्ति और प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित किया जाए, विलंबता को न्यूनतम किया जा सके और थ्रूपुट को अधिकतम किया जा सके.
- ii. **विश्वसनीयता की गारंटी:** क्रॉलर सेवा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करें जिसमें फाल्ट टोलेरन्स तंत्र, त्रुटि प्रबंधन, और फेलओवर क्षमताएँ शामिल हों ताकि निरंतर परिचालन सुनिश्चित किया जा सके.
- iii. **कस्टमाइजेशन के लिए सहजता:** क्रॉलर के कार्य को कस्टमाइज करने और डेटा स्रोतों में विशेष आवश्यकताओं या परिवर्तनों के अनुसार कस्टमाइज करने के लिए सहजता प्रदान करें। वेब डेटा सेवा के अपग्रेड/सुधारों के लिए भी सहजता प्रदान करें.
- iv. **व्यापक सहायता और रखरखाव:** वेब क्रॉलर सेवा से संबंधित किसी भी समस्या, बग या अपडेट को हल करने के लिए निरंतर सहायता और रखरखाव की सेवाएं प्रदान करें। इष्टतम कार्यप्रदर्शन के लिए पूछताछ का शीघ्र उत्तर दें और निरंतर सक्रिय निगरानी करें।
- v. **दस्तावेज़ और प्रशिक्षण सामग्री:** उपयोगकर्ताओं को वेब क्रॉलर सेवा का प्रभावी और कुशल उपयोग करने में मदद के लिए विस्तृत दस्तावेज़, उपयोगकर्ता गाइड और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करें।
- vi. **नियमित अपडेट और सुधार:** नियमित रूप से अपडेट और सुधार करें ताकि नए फीचर्स, सुधार और ऑटोमाइजेशन को उपयोगकर्ता के फीडबैक और बदलती आवश्यकतों के आधार पर शामिल किए जा सकें।
- vii. **सेवा स्तर करार (एसएलए):** कार्यप्रदर्शन मानकों, अपटाइम गारंटी, सहायता अनुरोधों के लिए प्रतिक्रिया का समय और महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए उत्तम प्रक्रियाओं का स्पष्ट रूप से विवरण करें।
- viii. **अभिशासन नीतियों और सुरक्षा उपायों का अनुपालन:** कानूनी और नैतिक दिशानिर्देशों, डेटा गोपनीयता विनियमों (जीडीपीआर, सीसीपीए जैसे), और वेबसाइट एक्सेस नीतियों (जैसे, robots.txt) का अनुपालन सुनिश्चित करें। डेटा उल्लंघनों और अनधिकृत पहुंच से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करें, जिनमें एन्क्रिप्शन, प्रमाणीकरण, और एक्सैस नियंत्रण सुविधाएं शामिल हों।
- ix. **डेटा गुणवत्ता सत्यापन व्यवस्था:** क्रॉल किए गए डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता जाँच और डेटा क्लीनिंग प्रक्रियाओं के लिए व्यवस्था लागू करें।
- x. **प्रदर्शन में सुधार:** क्रॉलर की प्रदर्शन को ऑटोमाइज करें ताकि डेटा प्राप्ति और प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित किया जाए, विलंबता को न्यूनतम किया जा सके और थ्रूपुट को अधिकतम किया जा सके।
- xi. **कॉन्फिगर करने योग्य क्रॉलर फ्रेमवर्क:** कस्टमाइजेबल क्रॉलर फ्रेमवर्क प्रदान करें जो क्रॉलिंग के पैरामीटर जैसे कि आवृत्ति, गहराई, दायरा, और लक्षित स्रोतों को समायोजित करने के लिए पैरामीट्रीकरण की अनुमति देता हो।
- xii. **डेटा प्रबंधन टूल:** क्रॉल किए गए डेटा को अच्छे से संग्रहीत, स्टोर, और प्राप्त करने के लिए सुदृढ़ डेटा प्रबंधन टूल शामिल करें। यह सुनिश्चित करें कि यह अलग-अलग डेटा स्टोरेज सिस्टम्स के साथ काम कर सके।

### 4. वेब डेटा सेवा के लिए प्रस्तावित समय-सीमा और डिलिवरेबल्स

यह अपेक्षित है कि बोलीदाता के पास पहले से एक मानक वेब डेटा सेवा है, जिसे नाबार्ड की उपर्युक्त आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज किया जाएगा। चुने गए वेंडर को वेब डेटा सेवा को कस्टमाइज, परीक्षण और लागू करने के लिए 35 दिनों की समय सीमा के भीतर निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार कार्य करना होगा:

क्रम संख्या	नियत कार्य	समय-सीमा
1	नाबार्ड की आवश्यतकाओं के अनुसार सेवा का कस्टमाइजेशन	15 दिन

2	सेवा का परीक्षण और स्वीकृति	10 दिन
3	कार्यान्वयन	10 दिन

#### समयबद्धता :

इस सॉफ्टवेयर के विकास में सॉफ्टवेयर के कार्यनिष्पादन और डिलीवरी की समयबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि समानांतर सॉफ्टवेयर विकास गतिविधियों की योजना इसके अनुसार परिचालित की जाएंगी और इन सभी विकासात्मक गतिविधियों के परिणामों को नियमित रूप से एकीकृत किया जाएगा ताकि कुल सिस्टम को इंक्रीमेंटल पद्धति से प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार, सहमत डिलीवरी समयबद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

**नोट:** एजेंसी को कस्टमाइजेशन के बाद एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की सुरक्षा की लेखा परीक्षण सीईआरटी-इन पैनल वाले वेंडरों से करवाना होगा। अंतिम आवेदन की सुरक्षा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अंतिम मंजूरी निर्भर करेगी।

#### अनुभाग IV- बोलीदाताओं की पात्रता मानदंड

यह प्रक्रिया सभी बोलीदाताओं के लिए खुली है जो नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और इस ईओआई दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों से सहमत हैं। बोलीदाताओं को बोली प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रदान की गई सूचना का समर्थन करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमा करने चाहिए। जो ईओआई पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

क्र. सं.	मानदंड	प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज़
1.	बोलीदाता को निम्नलिखित में से किसी में पंजीकृत होना चाहिए- <ul style="list-style-type: none"> <li>भारत में पंजीकृत कंपनी (जैसा की कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित है)</li> <li>भागीदारी फर्म (भागीदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत)</li> <li>सीमित दायित्व भागीदारी (समिति दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी रजिस्टर द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की प्रति या अन्य कोई और पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता</li> </ul>
2.	(क) स्टार्ट-अप को टेक स्टार्ट अप के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और उसे डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए; यह आईटी सेवाएं और समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में होना चाहिए। (ख) कंपनी या अन्य कोई, जीएसटी और अन्य के पंजीकरण के सभी कानूनी अनुपालनों को पूरा करना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>यदि स्टार्ट-अप, डीपीआईआईटी से इस ईओआई में व्यक्त किए अनुसार प्रमाण-पत्र, बिंदु (ख) के अनुपालन की घोषणा करता है।</li> </ul>
3.	बोलीदाता को भारत सरकार/ राज्य सरकारों/ नियामक एजेंसियों/ पीएसयू/ अन्य संस्थानों द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ी के प्रथाओं के लिए प्रतिबंधित/ ब्लैकलिस्ट में नहीं रखा गया होना चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>इस संबंध में स्वर्य-घोषणा प्रदान की जानी चाहिए</li> </ul>
4.	कंपनी या अन्य कोई पिछले 5 वर्षों से सॉफ्टवेयर का विकास/ सॉफ्टवेयर समाधान के क्षेत्र में काम कर रही होनी चाहिए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>कंपनी रजिस्टर द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की प्रति या अन्य कोई</li> <li>संदर्भ क्रय आदेश / अनुबंध दस्तावेज़</li> </ul>

5.	उचित और उपयुक्त	<ul style="list-style-type: none"> <li>● बोलीदाता को अपने लेटर हेड पर अनुबंध-IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए. इसे कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए.</li> </ul>
6.	<p>पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बोलीदाता का औसत कारोबार ₹3.00 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए.</p> <p>बोलीदाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के लिए लाभदायक संगठन होना चाहिए. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● संबंधित वर्षों के लिए लाभ और हानि विवरण के साथ लेखापरीक्षित तुलनपत्र की प्रति.</li> <li>● नवीनतम वित्तीय वर्ष के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकता है, यदि लेखापरीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हो.</li> </ul>

नोट: उपयुक्त स्टार्ट-अप के लिए पूर्व अनुभव से संबंधित मानदंड (बिंदु 4 और 6) में छूट दी जा सकती है.

## अनुभाग-V वेब डेटा सेवा के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड

सॉफ्टवेयर समाधान के लिए वेब डेटा सेवा को न्यूनतम पात्रता मानदंड के भाग के रूप में निम्नलिखित चेकलिस्ट के साथ अनुपालन करना चाहिए। बोलीदाता को प्रत्येक मानदंड के विरुद्ध सक्रिय संदर्भ लिंक/ सहायक दस्तावेज़ (रिपोर्ट/ मैनुअल/ दस्तावेज़ कंपनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत किया जा सकता है और सदर्भ लिंक के अनुपस्थिति में अधिकृत हस्तक्षारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है) प्रदान करना चाहिए। सहायक दस्तावेज़ ओईएम वेबसाइट पर उपलब्ध कराने चाहिए। नीचे दी गई चेकलिस्ट को संतोषजनक नहीं पाने पर संबंधित ईओआई को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	मानदंड	विवरण	हाँ/ नहीं	टिप्पणियाँ
1	विन्यास क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> <li>वेब क्रॉलर सेवा को उपयोगकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप क्रॉलिंग आवृत्ति, गहराई, दायरा और लक्ष्य स्रोतों जैसे मापदंडों को समायोजित करने की अनुमति देने के लिए एक स्तर की विन्यास क्षमता प्रदान करनी चाहिए।</li> </ul>		
2	Robots.txt अनुपालन	<ul style="list-style-type: none"> <li>वेबसाइटों के प्रतिबंधित क्षेत्रों को क्रॉलिंग करने से बचने के लिए robots.txt फाइल में निर्दिष्ट नियमों का सम्मान करने की क्षमता होनी चाहिए।</li> </ul>		
3	डेटा गुणवत्ता और प्रमाणीकरण आधासन	<ul style="list-style-type: none"> <li>इसमें क्रॉल किए गए डेटा की गुणवत्ता और सटीकता को सत्यापित और सुनिश्चित करने के लिए तंत्र शामिल होना चाहिए, जिसमें डेटा की अखंडता बनाए रखने के लिए सत्यापन जांच और डेटा परिमार्जन प्रक्रियाएं लागू की जानी चाहिए।</li> <li>डेटा प्रमाणीकरण के लिए उद्योग मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना चाहिए, जैसे कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO/IEC 27001। अनुपालन यह सुनिश्चित करता है कि डेटा प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं मजबूत और प्रभावी हैं।</li> </ul>		
4	प्रदर्शन अनुकूलन	<ul style="list-style-type: none"> <li>सेवा को प्रदर्शन के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए, विलंबता को न्यूनतम करने और प्रवाह क्षमता को अधिकतम करने के लिए कुशल डेटा पुनःप्राप्ति और प्रसंस्करण सुनिश्चित करना चाहिए।</li> </ul>		
5	विश्वसनीयता	<ul style="list-style-type: none"> <li>इसे विश्वसनीय सेवा प्रदान करनी चाहिए जिसमें अंतर्निर्मित दोष सहनशीलता प्रणाली, त्रुटि प्रबंधन और फेलओवर क्षमता हो, जिससे परिचालन में</li> </ul>		

		निरंतरता बनी रहे और डाउनटाइम को कम किया जा सके		
6	पार्सिंग और एक्सट्रेक्शन +-	<ul style="list-style-type: none"> <li>एचटीएमएल, एक्सएमएल, और अन्य वेब सामग्री प्रारूपों के लिए अंतर्निहित या अनुकूल साधन.</li> <li>वेब पृष्ठों से संबंधित डेटा को कुशलतापूर्वक लेने की क्षमता.</li> </ul>		
7	विस्तार क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> <li>बड़ी मात्रा में क्रॉलिंग कार्यों को संभालने के लिए क्षैतिज रूप से विस्तारित करने की क्षमता.</li> <li>समानांतर प्रसंस्करण के लिए वितरित संरचना सहायता</li> </ul>		
8	सुदृढ़ता और त्रुटि प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>त्रुटियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने हेतु, असफल रिकेस्टों को पुनः प्रयास करने और क्रॉलिंग के दौरान उत्पन्न समस्याओं को दर्ज करने के लिए व्यवस्था</li> </ul>		
9	अनुपालन और सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> <li>वेब क्रॉलिंग से संबंधित विधिक और नैतिक मानकों के अनुपालन, जिसमें कॉपीराइट कानून, वेबसाइट सेवा की शर्तों और गोपनीयता विनियमों का पालन शामिल है.</li> <li>इसके अतिरिक्त, इसे डेटा उल्लंघन और अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षित करने के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए, जिससे क्रॉल किए गए डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके.</li> </ul>		
10	यूआरएल प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>खोजे गए यूआरएल को प्रबंधित करने, उन्हें प्राथमिकता देने और डुप्लिकेट क्रॉलिंग से बचने के लिए एक कुशल यूआरएल प्रबंधन प्रणाली.</li> </ul>		
11	निगरानी और लॉगिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्रॉलर के कार्यनिष्पादन को ट्रैक करने, त्रुटियों का पता लगाने और समस्या का समय पर समाधान करने के लिए निगरानी और लॉगिंग व्यवस्था लागू करना.</li> </ul>		
12	स्टोरेज और इंडेक्सिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>क्रॉल किए गए डेटा को कुशलतापूर्वक स्टोर करने के लिए स्टोरेज अवसंरचना और संबंधित जानकारी</li> </ul>		

		को शीघ्रता से पुनः प्राप्त करने के लिए इंडेक्सिंग व्यवस्था		
--	--	---	--	--

## अनुभाग VI – ईओआई प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. **ईओआई दस्तावेज हेतु अनुरोध पर प्रश्न करना/स्पष्टीकरण देना:** बोलीदाताओं को इस दस्तावेज पर यदि किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे अपने लिखित प्रश्न ईमेल आईडी [ddmabi@nabard.org](mailto:ddmabi@nabard.org) पर, साथ ही सीसी में [apoorva@nabard.org](mailto:apoorva@nabard.org) और [saurabh.pawar@nabard.org](mailto:saurabh.pawar@nabard.org) पर भेज सकते हैं। किसी भी अन्यसुझाव/फीडबैक को ऊपर दिए गए ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है। किसी भी प्रश्न के मामले में निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।
  1. श्री अपूर्व सहायक प्रबंधक डीडीएमएबीआई (022-2653-9920)
  2. श्री सौरभ पवार विकास सहायक डीडीएमएबीआई (022-2653-9920)
2. **ईओआई दस्तावेज में संशोधन:** ईओआई की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, नाबार्ड इस दस्तावेज के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है। ऐसे परिवर्तन, यदि कोई हो, तो वे एक परिशिष्ट/शुद्धिपत्र के रूप में हो सकते हैं और यह नाबार्ड की वेबसाइट - <https://www.nabard.org> पर अपलोड किए जाएंगे। ऐसे सभी परिवर्तन स्वतः ईओआई हेतु रिकॉर्स्ट का भाग बन जाएंगे और सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को नियमित रूप से ऊपर दिए गए नाबार्ड के यूआरएल को देखने की सलाह दी जाती है।
3. **ईओआई प्रस्तुत करने की तिथि के विस्तार के लिए अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।** हालांकि, भावी बोलीदाताओं को उनकी ईओआई तैयार करते समय संशोधनों में लगे समय को ध्यान में रखते हुए, नाबार्ड अपने विवेकानुसार ईओआई प्राप्त करने की अंतिम तिथि का बढ़ा सकता है। अंतिम तिथि के पश्चात कोई भी ईओआई संशोधित नहीं की जा सकती है। ईओआई की प्राप्ति की अंतिम तिथि और ईओआई में बोलीदाता द्वारा निर्दिष्ट ईओआई वैधता अवधि की समाप्ति के अंतराल में कोई भी ईओआई वापस नहीं ली जा सकती है।
4. बोलीदाताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे ईओआई दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ईओआई के प्रस्तुतीकरण से यह मान लिया जाएगा कि इसे ईओआई दस्तावेज में दिए गए सभी निर्देशों, पात्रता मानदंडों, शर्तों और आवश्यकता विनिर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच करने तथा इसके निहितार्थों को अच्छी तरह से समझने के बाद प्रस्तुत किया गया है। इस ईओआई दस्तावेज में दिए गए सभी खंडों का पालन न करने वाली ईओआई को अस्वीकार किया जा सकता है। अगर बोलीदाता इस ईओआई दस्तावेज में मांगी गई सभी जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है या ईओआई दस्तावेज के अनुरूप महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान नहीं करता है, तो बोलीदाता स्वयं इसका जिम्मेदार होगा और उनकी ईओआई अस्वीकार की जा सकती है।
5. ईओआई को अनुभाग III, IV और V के विवरण के अनुसार अनुबंध I, अनुबंध II, अनुबंध III, अनुबंध IV, अनुबंध V और अनुबंध VI तथा दस्तावेजों के प्रमाण (जहां भी लागू हो) के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. **ईओआई का सबमिशन: विस्तृत ईओआई को जेम पोर्टल/ सीपीपी पोर्टल (<https://eprocure.gov.in>) पर 01 सितंबर 2024 को 17:00 बजे से पहले या तक जमा करना होगा।**
7. नाबार्ड अपने विवेकानुसार बोलीदाताओं से स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज/क्रेडेंशियल मांग सकता है।
8. **ईओआई को खोला जाना:** इस दस्तावेज में निर्धारित तिथि 03 सितंबर 2024 को 09:00 बजे नाबार्ड ईओआई खोलेगा।



## अध्याय VII – नियम और शर्तें

- 1.** ईओआई प्रस्तुत करना बोलीदाता की सहमति का एक प्रमाण है जिससे यह सिद्ध होता है कि बोलीदाता ने ईओआई प्रक्रिया और उसके बाद की बोली की प्रक्रिया के नियम और शर्तों का पालन किया है। यदि बोलीदाता किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी बोली को सरसरी तौर पर निरस्त किया जा सकता है।
- 2.** ईओआई में किसी भी तथ्य को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर बोलीदाता को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तथा नाबार्ड द्वारा की जाने वाली अन्य कार्रवाइयों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईओआई और उसके साथ संलग्न दस्तावेज नाबार्ड की संपत्ति बन जाएंगे। मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु बोलीदाताओं को उनके प्रोडक्ट/सोल्यूशन के पूर्ण अथवा किसी भाग को रिप्रोड्यूस करने के लिए, अन्य बोलीदाताओं को प्रस्तुत विषय-वस्तु को प्रकट करने के लिए और ईओआई प्रक्रिया के लिए आधार के रूप में प्रस्तुत विषय-वस्तु को प्रकट करने और/अथवा उपयोग करने के लिए, नाबार्ड को बोलीदाताओं के लिए सभी अधिकार प्रदान करने तथा लाइसेंस देने वाला माना जाएगा।
- 3.** नाबार्ड के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी अथवा सभी ईओआई को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है और इस संबंध में नाबार्ड का निर्णय अंतिम होगा।
- 4.** नाबार्ड के पास मूल्यांकन चरण के दौरान किसी भी समय बोलीदाता की सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार है ताकि वास्तविकता की पुष्टि की जा सके और प्रस्तुत प्रस्ताव की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।
- 5.** बोलीदाता को अपना पूरा विवरण, संगठन, अनुभव, संगठन में तकनीकी कार्मिक, क्षमता तथा अपनी वित्तीय स्थिति आदि के पर्याप्त साक्ष्य के बारे में विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी, जिसे गोपनीय रखा जाएगा।
- 6.** ईओआई प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का संविदात्मक दायित्व उत्पन्न नहीं होगा।
- 7.** मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार का प्रयास करने पर ईओआई को निरस्त किया जा सकता है।
- 8.** नाबार्ड किसी भी कारण से, निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश भी शामिल है, ईओआई प्राप्त न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9.** नाबार्ड के पास ईओआई में दी गई जानकारी की वैधता को सत्यापित करने और ईओआई की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है, जहां विषय-वस्तु गलत, अशुद्ध या अनुचित प्रतीत होती है।
- 10.** नाबार्ड के पास ईओआई के किसी भी चरण में बिना कोई कारण दिए ईओआई को वापिस लेने का अधिकार है।
- 11.** यह सुनिश्चित करना वेंडर के लिए अनिवार्य है कि लागू कॉपीराइट नियमों और विनियमों के अनुसार केवल कानूनी रूप से उपलब्ध सार्वजनिक डेटा का ही उद्धरण दिया जाए।

**12.** वेंडर नाबार्ड को कोई भी जानकारी देने से पूर्व डेटा प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी लेगा। इस दायित्व का उद्देश्य असत्य, मनगढ़ंत अथवा भ्रामक जानकारी के प्रसार से सुरक्षा करना है।

**13.** यह माना जाता है कि बोलीदाता निम्न बिंदुओं का पालन करेगा:

- क.** ईओआई दस्तावेज के लिए अनुरोध और उसके बाद हुए परिवर्तनों, यदि कोई हों, की जांच की ताकि उस पर प्रतिक्रिया दी जा सके।
- ख.** सभी परिस्थितियों और आकस्मिकताओं की जांच की गई, जो उनके ईओआई आवेदन पर प्रभाव डालती हैं और जो उचित पूछताछ करके प्राप्त की जा सकती हैं।
- ग.** बोलीदाता को अपने ईओआई आवेदन की सत्यता और पर्याप्तता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए और यदि ईओआई में कोई विसंगति, त्रुटि या चूक पाई जाती है, तो बोलीदाता को अंतिम तिथि/समय से पहले लिखित रूप में नाबार्ड को सूचित करना होगा।

**14.** सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति:

- क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार, नाबार्ड सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति द्वारा शासित है।
- ख. ये प्रावधान जिला औद्योगिक केन्द्र अथवा खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग अथवा खादी और ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड अथवा कॉर्यर बोर्ड अथवा राष्ट्रीय सूक्ष्म औद्योगिक निगम अथवा हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय अथवा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य निकाय पर लागू होंगे।
- ग. उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत छूट/वरीयता प्राप्त करने की इच्छुक एजेंसियों/बोलीदाताओं को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के साथ एमएसई के रूप में पंजीकरण/और एससी/एसटी द्वारा स्वामित्व के प्रमाण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

**15.** बोलीदाता को ईओआई प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतें वहन करनी होंगी। प्रक्रिया के संचालन अथवा परिणाम की परवाह किए बिना, नाबार्ड किसी भी लागत के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

**16.** बोलीदाताओं को उनके स्वामित्व अथवा उनकी वित्तीय अथवा तकनीकी क्षमता में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन सहित ईओआई आवेदन में दी गई सूचना में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन के विषय में नाबार्ड को तत्काल सूचित करना चाहिए। संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों को उनकी सूचना के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**17.** चयनित बोलीदाताओं को उनकी यूनिट का नाबार्ड द्वारा चयन किए जाने की सूचना के बारे में किसी भी तरीके से (नाबार्ड की पूर्व लिखित अनुमति के बिना) विज्ञापित/ प्रचारित नहीं करना चाहिए।

**18.** नाबार्ड इस ईओआई को प्रस्तुत करने की अंतिम तारिख से पूर्व इस ईओआई की किसी भी शर्त पर पुनः विचार कर सकता है।

**19.** नाबार्ड को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार होगा, जिससे प्रभावित बोलीदाताओं के प्रति नाबार्ड का कोई दायित्व नहीं होगा। निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के कारण नाबार्ड के अपने विवेक पर आधारित होंगे जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है लेकिन ये कारण सीमित नहीं होंगे:

- क.** अपेक्षित सेवाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
- ख.** अप्रत्याशित कारण और/अथवा कारक और/अथवा नए विकास के कारण कार्य का दायरा पर्याप्त अथवा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- ग.** यह परियोजना नाबार्ड के सर्वोत्तम हित में नहीं है।
- घ.** अन्य कोई कारण

**20.** बोलीदाता ईओआई प्रस्तुत करने के साथ प्रि-कॉन्ट्रैक्ट इंटिप्रिटी पैक्ट (अनुबंध VI) जमा करेगा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाण दिए जाएंगे। जिस राज्य में इस पैक्ट को निष्पादित किया जा रहा है उस राज्य के लागू प्रावधानों के अनुसार, इस पैक्ट को स्टाम्प किया जाएगा। दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रि-कॉन्ट्रैक्ट इंटिप्रिटी पैक्ट के बिना प्रस्तुत बोलियों पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इस इंटिप्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर करके रु.200/- के स्टाम्प पेपर पर इसे प्रस्तुत करना होगा अथवा उस राज्य में लागू मूल्य के अनुसार जहां इसे निष्पादित किया गया है, उस मूल्य के स्टाम्प पेपर पर इसे प्रस्तुत करना होगा।

## अनुबंध I – ईओआई प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

एजेंसी के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है।

दिनांक: \_\_\_\_\_

मुख्य महाप्रबंधक

डेटा प्रबंधन, विश्लेषण और व्यवसाय आसूचना विभाग

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

तीसरा तल, बी विंग, सी-24, 'जी' ब्लॉक

बांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, पी.बी.सं.8121, बांद्रा (पूर्व),

मुंबई - 400 051.

महाराष्ट्र

महोदय,

विषय: नाबार्ड के लिए वेब डेटा सेवा को सञ्चाराइब करने के लिए बोलीदाता के चयन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को प्रस्तुत करना।

हम, अद्योहस्ताक्षरी, दिनांक \_\_\_\_\_ की आपकी रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के अनुसार “नाबार्ड के लिए वेब डेटा सेवा को सञ्चाराइब करने के लिए बोलीदाता के चयन” हेतु आपको सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव देते हैं। हम इसके साथ अपनी रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत कर रहे हैं।

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि इस रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में दी गई सभी जानकारी और विवरण सत्य हैं और हम यह स्वीकार करते हैं कि इसमें निहित किसी भी गलत व्याख्या के कारण हमें अयोग्य किया जा सकता हैं।

हम ईओआई दस्तावेज़ की सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। हम समझते हैं कि आपको प्राप्त होने वाले किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं।

भवदीय,

अधिकृत हस्ताक्षर [संपूर्ण अक्षर और आद्यक्षर में]: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम: \_\_\_\_\_

बोलीदाता का नाम: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

स्थान: \_\_\_\_\_ दिनांक: \_\_\_\_\_

## अनुबंध II – बोलीदाता की जानकारी का विवरण

क्रम. सं.	मद	बोलीदाता का उत्तर
1.	सामान्य सूचना	
	क) संगठन का नाम	
	ख) संपर्क व्यक्ति का नाम	
	ग) पंजीकृत कार्यालय पता	
	घ) संपर्क व्यक्ति का दूरभाष	
	ड) संपर्क व्यक्ति का ईमेल एड्रेस	
	च) संगठन का वेबसाइट, यदि कोई हो	
	छ) व्यवसाय प्रारंभ करने का वर्ष	
	ज) पैन नंबर	
	झ) टैन नंबर	
	ज) कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्रः आरओसी/ डीआईसी/ आदि	
	ट) सेवा कर पंजीकरण सं./ जीएसटी क्रमांक	
	ठ) इस ईओआई हेतु प्रस्तावित वेब डेटा सेवा का नाम	
2	आयोजकों/ निदेशक/ साझेदारों (यदि साझेदारी हो) का विवरण	
	नाम	
	पता	
	मोबाइल नंबर	
3	क्षमता/ विकास केंद्र का स्थल और पेशेवरों की संख्या	
4	3 वित्तीय वर्षों में से किसी एक में निवल लाभ (करोड़ रुपए में):	
	वर्ष 2022-2023 के लिए	
	वर्ष 2021-2022 के लिए	
	वर्ष 2020-2021 के लिए	
5	3 वित्तीय वर्षों में वार्षिक आवर्त (करोड़ रुपए में)	
	वर्ष 2022-2023 के लिए	
	वर्ष 2021-2022 के लिए	
	वर्ष 2020-2021 के लिए	

### प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

दिनांक:

स्थानः

मुहरः

### अनुबंध III – परियोजना विवरण

(प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक रूप से जमा किया जाए)

बोलीदाता द्वारा बीएफएसआई/ सरकारी/ पीएसयू/ निजी क्षेत्र में प्रारंभित परियोजना का विवरण (खरीद ऑर्डर/ किसी दस्तावेज़ी प्रमाण की प्रति संलग्न करें) (प्रत्येक परियोजना की एक शीट जमा की जाए)

परियोजना सं.: .....

क्रम. सं.	मद	अनिवार्य (हाँ/ नहीं)	बोलीदाता का उत्तर
1.	कार्यान्वित वेब डेटा सेवा का नाम	हाँ	
2	ग्राहक का नाम	हाँ	
3	क्षेत्र (सीएसआर/ एनपीओ/ बीएफएसआई/ सरकारी/ पीएसयू/ निजी क्षेत्र)	हाँ	
4	संपर्क व्यक्ति, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी सहित ग्राहक का स्थान	हाँ	
5	<b>क.</b> परियोजना हेतु प्राप्त खरीद ऑर्डर की तिथि <b>ख.</b> संविदा प्रारंभ करने की तिथि: <b>ग.</b> परियोजना की स्थिति (चालू/ पूर्ण): <b>घ.</b> परियोजना की पूर्ति की तिथि (यदि प्रयोज्य हो):	हाँ	
6	परियोजना का संक्षिप्त विवरण	हाँ	
7	संविदागत राशि (लाख रुपए में)	हाँ	
8	विलंब, यदि कोई हो, हेतु कारण सहित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	नहीं	

नोट: बोलीदाता द्वारा केवल इसी प्रारूप में उपरोक्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए.

#### प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

दिनांक:

स्थान:

मुहर:

**अनुबंध IV- गैर-ब्लैकलिस्टिंग/ गैर-विवर्जन घोषणा**  
(संगठन के लेटरहेड पर)

**भाग अ. मालिकाना व्यवसाय के मामले में:**

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ करती हूँ कि न तो मुझे अपने व्यक्तिगत नाम से और न ही अपने स्वामित्व वाले व्यवसाय मेसर्स के नाम से, जो कि संलग्न बोली/ निविदा को जमा कर रहा है, न ही किसी ऐसे व्यवसाय, जिसका/ जिसकी मैं मालिक/ मालिकिन हूँ, और न ही कोई साझेदारी फर्म, जिसमें मैं प्रबंध भागीदार के रूप में शामिल हूँ, को किसी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी वेंडर द्वारा दिनांक 01.04.2019 से ब्लैकलिस्ट/ विवर्जित नहीं किया गया है, सिवाय नीचे इंगित मद के अनुसार:  
(यहाँ ब्लैकलिस्टिंग/ विवर्जन का विवरण प्रदान करें, और ऐसा न होने की स्थिति में “शून्य” कथित करें)

**भाग आ. साझेदारी फार्म के मामले में:**

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि न हमें, मेसर्स \_\_\_\_\_, जो कि संलग्न बोली/ निविदा जमा कर रहा है, न ही कथित फर्म के प्रबंधन में शामिल किसी साझेदार को उसकी व्यक्तिगत क्षमता में, या किसी फर्म के मालिक या प्रबंध साझेदार के रूप में, किसी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी वेंडर द्वारा दिनांक 01.04.2019 से ब्लैकलिस्ट/ विवर्जित नहीं किया गया है, सिवाय नीचे इंगित मद के अनुसार:

(यहाँ ब्लैकलिस्टिंग/ विवर्जन का विवरण प्रदान करें, और ऐसा न होने की स्थिति में “शून्य” कथित करें)

**भाग इ. कंपनी के मामले में:**

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि हमें दिनांक 01.04.2019 से किसी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी वेंडर द्वारा ब्लैकलिस्ट/ विवर्जित नहीं किया गया है, सिवाय नीचे इंगित मद के अनुसार:

(यहाँ ब्लैकलिस्टिंग/ विवर्जन का विवरण प्रदान करें, और ऐसा न होने की स्थिति में “शून्य” कथित करें)

\* हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि हमने L1 के रूप में चुने जाने के पश्चात् किसी बोली को वापस नहीं लिया है

हम इस बात से भी सहमत है कि यदि इस घोषणा का कोई भी मद असत्य पाया जाता है, तो नाबार्ड के पास मेरी/ हमारी बोली को निरस्त करने का अधिकार होगा, और यदि बोली के परिणामस्वरूप कोई संविदा हुई है, तो संविदा को समाप्त किया जा सकता है.

स्थान:

बोलीदाता के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

दिनांक:

हस्ताक्षरकर्ता का नाम: \_\_\_\_\_

## अनुबंध V - जांचसूची

संलग्न की जांच सूची:		
1	अनुबंध-। में अपेक्षित सभी समर्थक दस्तावेज़ SI की न्यूनतम पात्रता मानदंड	हाँ/ नहीं
2	अनुबंध -। संलग्न	हाँ/ नहीं
3	अनुबंध - ॥ संलग्न	हाँ/ नहीं
4	अनुबंध- ॥। संलग्न	हाँ/ नहीं
5	अनुबंध -IV संलग्न	हाँ/ नहीं
6	अनुबंध -V संलग्न	हाँ/ नहीं
7	अनुबंध -VI संलग्न	हाँ/ नहीं
11	ईओआई दस्तावेज़ की हस्ताक्षरित प्रतियाँ (सभी पृष्ठ)	हाँ/ नहीं
12	कोई अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	हाँ/ नहीं

## अनुबंध VI – पूर्व संविदा सत्यनिष्ठा समझौता

(रु.200/- के गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर कार्यान्वित किया जाएगा)

के बिच

“राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)” इसके बाद जिसे “क्रेता” के रूप में संदर्भित किया जाएगा

और

..... इसके बाद जिसे “विक्रेता” के रूप में संदर्भित किया

जाएगा.

### प्रस्तावना

क्रेता निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ..... के लिए संविदा/ संविदाओं के निर्धारण की इच्छा रखता है. क्रेता देश के सभी संबद्ध क्रान्तीयों, विनियमों के पूर्ण अनुपालन के साथ साथ संसाधनों के उचित रूप से उपयोग को और अपने विक्रेता (विक्रेताओं) और/ अथवा संविदाकर्ताओं के साथ अपने संबंधों में निष्पक्षता/ पारदर्शिता को महत्व (अहमियत) देता है.

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्रेता स्वतंत्र बाह्य परिवीक्षकों (मॉनिटरों/ अनुवीक्षकों) (आईईएम) की नियुक्ति करेगा, जो उल्लिखित (ऊपर बताए गए) सिद्धांतों के अनुपालन हेतु टेंडर प्रक्रिया और संविदा के निष्पादन (क्रियान्वयन) की निगरानी करेंगे.

### **धारा 1 – क्रेता की प्रतिबद्धताएं**

(1) क्रेता भ्रष्टाचार को रोकने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक उपायों को करने के लिए (स्वयं से) प्रतिबद्ध है:

- क्रेता का, निविदा से अथवा निविदा के क्रियान्वयन से संबंधित कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से अथवा परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से स्वयं अथवा किसी तीसरे (अन्य) व्यक्ति को, जो कानूनी रूप से हकदार नहीं है, से कोई भी भौतिक अथवा अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा, न कोई वचन देगा और न ही स्वीकार करेगा.
- निविदा की प्रक्रिया के दौरान क्रेता सभी वेंडरों के साथ एक समान और विवेकपूर्ण व्यवहार करेगा. क्रेता विशेष रूप से निविदा प्रक्रिया के शुरू होने से पहले और प्रक्रिया के दौरान सभी वेंडरों को एक समान सूचना प्रदान करेगा और किसी भी विक्रेता को कोई भी गोपनीय/ अतिरिक्त सूचना प्रदान नहीं करेगा जिससे कि कोई विक्रेता निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा कार्यान्वयन से संबद्ध कोई भी लाभ उठा सके.
- क्रेता सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर रखेगा.

(2) यदि क्रेता को अपने किसी कर्मचारी के विरुद्ध ऐसे किसी आचरण की सूचना मिलती है, जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, अथवा इस संबंध में कोई ठोस संदेह है, तो क्रेता मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना देगा और इसके अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है.

### **धारा 2 – विक्रेता (विक्रेताओं)/ संविदाकर्ता (संविदाकर्ताओं) की प्रतिबद्धताएं**

(1) विक्रेता/ संविदाकर्ता भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. विक्रेता/ संविदाकर्ता निविदा प्रक्रिया और संविदा कार्यान्वयन की प्रक्रिया में भागीदारी के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है.:

- विक्रेता/ संविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ, जो भी हो, प्राप्त करने के उद्देश्य से सीधे तौर पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म के माध्यम से निविदा प्रक्रिया अथवा संविदा के क्रियान्वयन में शामिल क्रेता के किसी भी कर्मचारी अथवा किसी तीसरे व्यक्ति को,

जिसका वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, ऐसे लाभ के विनिमय में, कोई भी भौतिक अथवा अन्य लाभ प्रदान नहीं करेंगे।

- b. विक्रेता/ संविदाकर्ता किसी अन्य स्टार्ट-अप/ विक्रेता के साथ कोई भी अघोषित समझौता अथवा समझौता नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो अथवा अनौपचारिक हो। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणन, सहायक संविदाओं, बोलियों के प्रस्तुतीकरण अथवा गैर-प्रस्तुतीकरण अथवा प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने अथवा बोली प्रक्रिया में गुटबाजी शुरू करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।
  - c. विक्रेता/ संविदाकर्ता संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम अथवा भृष्टचार विरोधी किसी अन्य लागू कानून के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; इसके अलावा विक्रेता/ संविदाकर्ता प्रतिस्पर्धा अथवा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से क्रेता द्वारा व्यापारिक संबंधों के भाग के रूप में प्रदान की गई योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों से संबंधित सूचना अथवा दस्तावेज़, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित अथवा प्रेषित सूचना भी शामिल है, इनका अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेंगे, अथवा किसी अन्य को इनकी सूचना नहीं देंगे।
  - d. विदेशी मूल के विक्रेता/ संविदाकर्ता भारत में उनके विदेशी मूल के एजेंटों/प्रतिनिधियों का नाम और पता बताएँगे, यदि कोई हो। इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीयता वाले विक्रेता/ संविदाकर्ता उनके विदेशी खरीदारों का नाम और पता बताएँगे, यदि कोई हो।
  - e. विक्रेता/ संविदाकर्ता अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, संविदा तैयार (प्रदान) करने के संबंध में एजेंटों, दलालों अथवा अन्य मध्यस्थों को किए गए, अथवा किए जाने वाले सभी भुगतानों को सामने लाएँगे (प्रकट करेंगे)।
  - f. विक्रेता/ संविदाकर्ता जिन्होंने पूर्व-संविदा सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, वे किसी मामले को आईईएम के समक्ष प्रस्तुत करते समय च्यायालयों में नहीं जाएंगे और उक्त विषय पर उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे।
- (2) विक्रेता/ संविदाकर्ता उल्लिखित अपराधों के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं भड़काएंगे अथवा ऐसे अपराधों में भागीदार नहीं बनेंगे।

### धारा 3 – निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता (अनहर्ता) और भविष्य के संविदाओं से बहिष्करण

यदि विक्रेता/ संविदाकर्ता, निविदा तय करने (देने) अथवा निष्पादन के दौरान उपर्युक्त धारा 2 का उल्लंघन कर के अथवा किसी अन्य रूप में उल्लंघन करता है, जिससे उनकी स्थिरता अथवा विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाए, तो ऐसे में क्रेता विक्रेता/ संविदाकर्ता को निविदा की प्रक्रिया से बाहर करने का अधिकार रखता है।

### धारा 4 – हजाने की क्षतिपूर्ति

- (1) धारा 3 के अनुसार, यदि क्रेता ने अवार्ड से पूर्व विक्रेता को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य कर दिया है, तो क्रेता को बयाना जमानत/ बोली प्रतिभूति (जमानत) के बराबर क्षतिपूर्ति मांगने और वसूलने का अधिकार होगा।

यदि क्रेता ने धारा 3 के अनुसार संविदा को समाप्त कर दिया है, अथवा धारा 3 के अनुसार क्रेता को संविदा को समाप्त करने का अधिकार है, तो क्रेता को संविदाकर्ता से संविदा मूल्य के निर्णीत हजाने अथवा निष्पादन बैंक गैरंटी के बराबर राशि की मांग करने और वसूलने का अधिकार होगा।

## **खंड 5 – पूर्व उल्लंघन**

- (1) विक्रेता यह घोषणा करता है कि पिछले तीन वर्षों में एंटी-करप्शन/ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) अप्रोच के अनुरूप किसी भी देश में किसी अन्य कंपनी के साथ या भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/ भारत में उपक्रम या भारत में किसी सरकारी विभाग के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है।
- (2) यदि विक्रेता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है और/ या उसके बहिष्कार की कार्रवाई की जाएगी और/या वह ऐसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी होगा जो यहां उल्लिखित उल्लंघन के कारण हुई हो।

## **खंड 6 - सभी स्टार्ट-अप्स/ विक्रेताओं/ ठेकेदारों/ उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार**

- (1) उप-ठेके के मामले में, ठेकेदार उप-ठेकेदार द्वारा पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि को अपनाने की जिम्मेदारी लेगा तथा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे क्रेता के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (2) क्रेता सभी स्टार्ट-अप्स/ विक्रेताओं और ठेकेदारों के साथ समान शर्तों पर समझौता करेगा।
- (3) क्रेता उन सभी स्टार्ट-अप्स/ विक्रेताओं को निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर देगा जो समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

## **खंड 7- उल्लंघन करने वाले विक्रेता(ओं)/ ठेकेदार(ओं)/ उपठेकेदार(ओं) के विरुद्ध आपराधिक आरोप**

यदि क्रेता को किसी विक्रेता, ठेकेदार या उपठेकेदार, या विक्रेता, ठेकेदार या उपठेकेदार के किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या सहयोगी के आचरण के बारे में जानकारी मिलती है जो भ्रष्टाचार को दर्शाता है, या यदि क्रेता को इस संबंध में ठोस संदेह है, तो क्रेता इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को देगा।

## **खंड 8- स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर**

- (1)** क्रेता केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुमोदन के पश्चात इस पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा संधि के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर ("मॉनीटर") नियुक्त करता है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है कि क्या और किस सीमा तक पार्टी इस समझौते के तहत दायित्वों का अनुपालन करते हैं।

नाबार्ड के लिए नियुक्त स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर है:

1. डॉ. संजय कुमार पांडा, आईएएस (सेवानिवृत्त)

515, वार्ड नं.3

सिदेश्वर साही

कटक शहर, कटक जिला

ओडिशा 753 008

ईमेल: sanjaypandaivas@gmail.com

2. श्री जगदीप कुमार घई, पी एंड टीए, एफएस (सेवानिवृत्त)

फाल्ट 1032, ए विंग, वनश्री सोसाइटी

सेक्टर 58 ए एंड बी, पाम बीच रोड

नेरुल, नवी मुंबई - 400706

(2)

मॉ

निटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को तटस्य और स्वतंत्र रूप से करता है। मॉनिटर को जब भी आवश्यकता होगी, सभी अनुबंध दस्तावेजों तक पहुँच रखने का अधिकार होगा। स्टार्ट-अप/ विक्रेताओं/ ठेकेदारों की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखना उसके लिए अनिवार्य होगा। वह नाबार्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेगा।

(3)

वि

क्रेता/ ठेकेदार यह स्वीकार करते हैं कि मॉनिटर को खरीदार के सभी प्रोजेक्ट दस्तावेजों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुँच का अधिकार है, जिसमें ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज़ भी शामिल हैं। ठेकेदार मॉनिटर को उसके अनुरोध और वैध रुचि के प्रदर्शन पर, उनके प्रोजेक्ट दस्तावेजों तक अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुँच भी प्रदान करेगा। यही बात उप-ठेकेदारों पर भी लागू होती है।

(4)

मॉ

निटर का संविदागत दायित्व विक्रेता(ओं)/ ठेकेदार(ओं)/ उप-ठेकेदार(ओं) की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीय रखना है। मॉनिटर ने गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने और हितों के टकराव की अनुपस्थिति पर घोषणापत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। बाद में किसी भी तरह के हितों के टकराव की स्थिति में, आईईएम नाबार्ड के अध्यक्ष को सूचित करेगा और खुद को उस मामले से अलग कर लेगा।

(5)

क्रे

ता परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच सभी बैठकों के बारे में मॉनिटर को पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऐसी बैठकों का क्रेता और विक्रेता/ ठेकेदार/ उप-ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। पार्टी द्वारा मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करते हैं।

(6)

जै

से ही मॉनिटर को इस समझौते का उल्लंघन नज़र आता है या उसे लगता है कि इस समझौते का उल्लंघन हुआ है, तो वह क्रेता के प्रबंधन को इसकी सूचना देगा और प्रबंधन से अनुरोध करेगा कि वह समझौते को बंद कर दे या सुधारात्मक कार्रवाई करे या कोई अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करे। इस संबंध में मॉनिटर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पार्टियों से यह माँग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी खास तरीके से काम करें, कार्रवाई से परहेज़ करें या कार्रवाई को बर्दाश्त करें।

(7)

मॉ

निटर क्रेता द्वारा संदर्भ या सूचना की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर नाबार्ड के अध्यक्ष को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(8)

य

दि मॉनिटर ने नाबार्ड के अध्यक्ष को प्रासंगिक आईपीसी/ पीसी अधिनियम या किसी अन्य संविधि/ कानून के तहत अपराध का पुष्ट संदेह बताया है, और नाबार्ड के अध्यक्ष ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के विरुद्ध कायेवाही करने के लिए स्पष्ट कार्रवाई नहीं की है या मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी है, तो मॉनिटर यह सूचना सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित करेगा।

(9)

मॉनीटर' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

खंड 9 – समझौता की अवधि

यह पूर्व-अनुबंध सत्यनिष्ठा समझौता तब शुरू होता है जब दोनों पार्टियां कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर करते हैं। यह ठेकेदार के लिए अनुबंध के तहत अंतिम भुगतान के 12 महीने बाद और अन्य सभी थर्ड पार्टी/ ऑर्डर्स विक्रेताओं के लिए 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है। इसका कोई भी उल्लंघन स्टार्ट-अप/ विक्रेताओं को अयोग्य घोषित कर देगा और भविष्य के व्यावसायिक सौदों से बाहर कर देगा।

यदि इस दौरान कोई दावा किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा तथा ऊपर निर्दिष्ट इस समझौते के समाप्त हो जाने के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि उसे नाबार्ड के अध्यक्ष द्वारा समाप्त/ निर्धारित नहीं कर दिया जाता।

### **खंड 10 – अन्य प्रावधान**

- (1) यह समझौता भारतीय कानूनों के अधीन है, कार्य-निष्पादन का स्थान और अधिकार क्षेत्र क्रेता का प्रधान कार्यालय, अर्पण मुंबई है।
- (2) परिवर्तन और अनुपूरक तथा समाप्ति नोटिस लिखित रूप में दिए जाने चाहिए। कोई साइड एग्रीमेंट नहीं किया गया है।
- (3) यदि ठेकेदार एक सहायता संघ है, तो इस समझौते पर सहायता संघ के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- (4) यदि इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस समझौते का शेष भाग वैध रहेगा। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे।
- (5) वारंटी/ गारंटी आदि जैसे मुद्दे आईईएम के दायरे से बाहर होंगे।
- (6) सत्यनिष्ठा समझौता और इसके अनुलग्नक के बीच किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने की स्थिति में, सत्यनिष्ठा समझौता का खंड ही मान्य होगा।

क्रेता

विक्रेता

अधिकारी का नाम

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पदनाम

संगठन

नाबार्ड

साक्षी

साक्षी

1. \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_